प्रकीर्ण वाद संख्या ८८०/२०१९ (एम.ए.सी.पी.सं.१०२/२०१४)
न्यू इण्डिया इश्योरेंस कं. लि. बनाम धनंजय सिंह

एवं

प्रकीर्ण वाद संख्या ८७/२०२० (एम.ए.सी.पी.सं.१०२/२०१४)
धनंजय सिंह बनाम शहजाद

२०.११.२०२०

३सी२ प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यू इण्डिया इश्योरेंस कं. लि. द्वारा इस आशय से दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०५.१०.२०१६ को ३,४८,४१२/–रु. मय ७ प्रतिशत ब्याज याचिका दायर करने के दिनाँक से वसूली तक दिलाए जाने हेतु एवार्ड किया गया था, जिसके विरूद्ध बीमा कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय में एफ.ए.एफ.ओ. सं. १७२/२०१७ दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायलय द्वारा उक्त अपील में पारित आदेशानुसार ५० प्रतिशत धनराशि याची को नकद तथा ५० प्रतिशत धनराशि फिक्स डिपोजिट होनी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक ३०.१०.२०१९ को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुये न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त एवार्ड की धनराशि ३ ,४८,४१२ /–रु. के स्थान पर रु. १,००००००/– घटाकर २,४८,४१२/–रु. कर दी गई है। इस तरह बीमा कम्पनी को १,००००००/–रु. मूलधन तथा २४.०२.२०१४ से २३.०२. २०१९ तक ५ वर्ष का ब्याज ७ प्रतिशत की दर से ३५,०००/–रु. व दिनाँक २४.०२.२०१९ से २८.११. २०१९ तक का ब्याज ५,४५७/–रु., कुल १,४०,४४७/–रु. व आयन्दा ब्याज ७ प्रतिशत की दर से वास्तविक भुगतान की तिथि तक का प्रार्थी बीमा कम्पनी को दिलाए जाने की याचना की है। प्रार्थी बीमा कम्पनी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रकरण में ३,८१,२८९/– रु. जमाशुदा चैक की छाया प्रति ४सी२,माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ.सं.१७२/२०१७ में पारित आदेश दिनॉकित ३०.१०.२०१९ की प्रमाणित प्रति दाखिल की गई है।

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी धनंजय द्वारा भी इसी आशय से दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में एम .ए.सी.टी./ए.डी.जे. ३, झॉसी द्वारा दिनाँक ०५.१०.२०१६ को ३,४८,४१२/–रु. मय ७ प्रतिशत ब्याज याचिका दायर करने के दिनाँक से वसूली तक दिलाए जाने हेतु एवार्ड किया गया था, जिसके विरूद्ध बीमा कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय में एफ.ए.एफ.ओ. सं.१७२/२०१७ दायर किया था जिसमें पारित आदेशानुसार प्रतिकर की धनराशि मे से विपक्षी कम्पनी को वापस दिलाए जाने व शेष प्रतिकर की धनराशि प्रार्थी को दिलाए जाने की याचना की है। प्रार्थी/याची प्रार्थी धनंजय ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, अपने आधार कार्ड की छाया प्रति, एम.ए.सी.पी. सं.१०२/२०१४ में पारित डिक्री की सत्यप्रतिलिपि की छाया प्रति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं. १७२/२०१७ न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम धनंजय सिंह परिहार एवं ५ अन्य में पारित आदेश दिनॉकित ३०.१०.२०१९ की नेट द्वारा प्राप्त छाया प्रति दाखिल की गयी हैं।

उक्त दोनों प्रकीर्ण वादों में प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ताग न्यायालय में उपस्थित आये, जिन्हें सुना गया तथा उक्त प्रकीर्ण वादों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकीर्ण वादो में प्रार्थीगण ने अपने –अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं के शपथपत्र दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. सं.१७२/२०१७ में पारित आदेश दिनॉकित ३०.१०.२०१९ की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक ३०.१०.२०१९ को उक्त अपील अंतिम रूप से निस्तारित करते हुये न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त एवार्ड की धनराशि ३,४८,४१२/–रु. के स्थान पर एवार्ड की धनराशि १,००००००/–रु. घटाकर २,४८,४१२/–रु. कर दी गई है तथा अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा जमा की गई २५,०००/–रु. की धनराशि को भी सम्पूर्ण प्रतिकर की धनराशि में समायोजित करने हेतु आदेशित किया गया है। कार्यालय आख्या के अनुसार तृतीय अपर जिला जज/एम.ए.सी.टी.,झाँसी के चेक रजिस्टर के अनुसार पी.एन.बी. शाखा झोकनबाग, झाँसी में ३,८१,२८९/–रु. जमा होने का इन्द्राज है, किन्तु पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण मे वर्तमान में कोई धनराशि जमा नहीं है , मात्र रु. १,९०,६४४/– की एफ.डी. न्यायाधिकरण के नाम जमा है, जिसकी परिपक्वता तिथि ३१.०५.२०२१ है। प्रार्थीगण ने अपने–अपने बैंक खाते की छाया प्रतियां दाखिल की है। प्रार्थी धनंजय ने अपने प्रार्थनापत्र में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में १,९०,६४२/–रु. नकद प्राप्त किया जाना स्वीकार किया है तथा यह भी अपने प्रार्थनापत्र व शपथपत्र में यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में पी .एन.बी., झोकनबाग, झाँसी में रु. १,९०,६४४/– की धनराशि एफ.डी.आर. में जमा है। प्रकीर्ण वाद सं. ८८०/२०१९ न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम धनंजय में प्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलहाबाद के उक्त आदेश के अनुपालन में जमा की गई प्रतिकर धनराशि में से बीमा कम्पनी को कुल १,५०,२४७/– रु. दिलाए जाने की याचना की है, जिसके संबंध में स्वयं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस धनराशि को विपक्षी बीमा कम्पनी को दिलाए जाने में कोई आपत्ति नहीं की है। अतः न्यायाधिकरण के नाम पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा एफ.डी.आर.को समाप्त कर, एफ.डी.आर. की धनराशि रु.१,९०,६४४/– में से १,५०,२४७/–रु. प्रकीर्ण वाद सं. ८८०/२०१९ के प्रार्थी न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लि. को उनके बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस/नेफ्ट वापस दिलाए जाने योग्य है तथा शेष प्रतिकर की धनराशि मय समस्त अर्जित ब्याज प्रकीर्ण वाद सं. ८७/२०२० के प्रार्थी धनंजय अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस/नेफ्ट नकद प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १०२/२०१४ (प्रकीर्ण वाद सं. ८८०/२०१९ व ८७/२०२०) के प्रकरण मे जमा एफ.डी.आर. को तोड़कर रु. १,५०,२४७/– (एक लाख पचास हजार दो सौ सैंतालीस) रु. प्रकीर्ण वाद सं. ८८०/२०१९ के प्रार्थी न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लि. को जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके खाता संख्या COOLL. A/C NO. 911020046554867 IFSC Code UTIB0000337 में तथा प्रतिकर की अवशेष धनराशि प्रकीर्ण वाद सं. ८७/२०२० के प्रार्थी धनंजय को जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके खाता संख्या 3671000101175570 PNB Jokhanbagh Jhansi IFSC Code PUNB0367100 में स्थानान्तरित कर दें।

इस आदेश की एक प्रति प्रकीर्ण वाद ८७ /२०२० (एम.ए.सी.पी.सं.१०२/२०१४) धनंजय सिंह बनाम शहजाद की पत्रावली पर रखी जावे। तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

उक्त पत्रावलियां नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.,एम.ए.सी.टी.,झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.23 17:19:55 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI